

11/12/24

पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी द्वारा तलवी कराना जाना नहीं पाया जाता है अतः तलवी कराना नहीं जावे। पत्रावली दिनांक 06/12/24 को पेश की।

↓

06/12/24

आज यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थी की कानून की एडवोकेट वकील द्वारा वकील प्रार्थी को पेश किया गया। वकील द्वारा तलवी दिनांक 06/12/24 को पेश की।

अतः जब तक वकील द्वारा दिनांक 06/12/24

तक प्रार्थी द्वारा RTI का प्रयास करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा स्वयं से दिनांक 06/12/24 को तलवी कराना जारी रखा जा रहा है। दिनांक 20/12/24 को तलवी दिनांक 06/12/24 पत्रावली के साथ सुमाह होकर नया प्रयास हो तथा प्रार्थना प्रयास जारी रहे।

↓  
(राधेश्याम जीजा)  
उपस्थित अधिकारी  
मुंबई (भारत) राज.